

भा0कृ0अनु0प0-केन्द्रीय भैस अनुसंधान संस्थान,
सिरसा रोड, हिसार-125001 (हरियाणा)


क्रमांक: 1-3/सी0-बी0/Med./2022-23

दिनांक : 02 अगस्त 2024

परिपत्र

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि अब से संस्थान (उप परिसर, नाभा सहित) के सभी कर्मचारी और पेंशनभोगी आउटडोर उपचार के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत करते समय प्रत्येक ऐसी प्रयुक्त दवा की खाली स्ट्रीप्स, खाली शीशी व इन्जेक्शन इत्यादि प्रस्तुत करेंगे, जिनकी कीमत 500 रुपये और उससे अधिक है।

यह आदेश 01-08-2024 के बाद खरीदी गई दवाइयों की प्रतिपूर्ति हेतू लागू होंगे।


5/8/2024
आहरण एवं संवितरण अधिकारी

वितरण

1. सभी प्रभागों के प्रमुखों/अनुभागीय प्रभारियों से अनुरोध है कि कृपया इन निर्देशों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाएँ।
2. प्रभारी/अधिकारी उप परिसर, नाभा में इसी तरह की आवश्यक कार्रवाई के लिए
3. वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी
4. सहायक प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना अनुभाग
5. ए0एम0ए0, सी0आई0आर0बी0 हिसार
6. प्रभारी, ए.के.एम.यू. उनसे अनुरोध है कि इस परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. नोटिस बोर्ड